

[2014] 6 एस.सी.आर 1143

उत्तर पूर्व रेलवे एवं अन्य

बनाम

ट्रिपल इंजीनियरिंग वर्क्स

(2014 की दीवानी अपील संख्या 6275)

13 अगस्त, 2014

[रंजन गोगोई और एम. वाई. इक्बाल, न्यायमूर्ति गण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 11 (6) - मध्यस्थ की नियुक्ति - रेलवे अधिकारियों द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करने वाला अनुबंध - उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया - अभिनिर्धारित: यद्यपि धारा 11 कहती है कि उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए, इस धारणा में बदलाव आया है, इस अर्थ में कि यद्यपि पक्षों के बीच अनुबंध का पालन किया जाना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों में इससे विचलन अनुमेय है - वर्तमान मामले में, रेलवे अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता वाले समझौते के विपरीत सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति वैध है क्योंकि ठेकेदार द्वारा दो अनुबंधों की कथित गलत समाप्ति के लिए अपने दावे उठाए जाने के बाद से दो दशकों तक मध्यस्थता की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई थी - अधिनियम के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग उसके तहत प्रदान किए गए उपाय को प्रभावी बनाने और उसमें परिकल्पित तंत्र को सुगम बनाने के लिए किया जाना चाहिए - ऐसी स्थिति में जहाँ अधिनियम के तहत प्रक्रिया और प्रक्रिया निरर्थक हो गई है, मध्यस्थों की नियुक्ति की सहमत शर्तों से विचलित होने की न्यायालय की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए - इसमें कोई कमी नहीं थी, कोई अवैधता तो बिल्कुल नहीं थी। या न्याय की विफलता को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण कहा जा सकता है, जिससे किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

उत्तरदाता-ठेकेदार को दिए गए अनुबंध रद्द कर दिए गए और वर्ष 1996 में मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हुई, हालाँकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ था। अनुबंध में रेलवे अधिकारियों द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान था। उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अनुबंध की

सामान्य शर्तों के खंड 64(3)(ए)(ii) और (iii) के ढांचे से परे जाकर तथा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त करके सही कदम उठाया गया था।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया

1. अनुबंध की सामान्य शर्तों के प्रावधानों से पता चलता है कि पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार मध्यस्थों के पैनल में राजपत्रित रेलवे अधिकारी होना अनिवार्य है; मध्यस्थों के पैनल में किसी भी रिक्ति को उसी तरह भरा जाना चाहिए जिस तरह से प्रारंभिक पैनल के गठन की आवश्यकता होती है। [कंडिका 4) [1150-सी-डी]

2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए, यह "पारंपरिक धारणा" **ऐस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स* मामले में काफी कमजोर पड़ गई, जिसमें इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि यद्यपि पक्षों के बीच अनुबंध का पालन किया जाना चाहिए, फिर भी असाधारण परिस्थितियों में इससे विचलन स्वीकार्य होगा। इसके तुरंत बाद ***भारत बैटरी निर्माता* मामले में एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें यह माना गया कि एक बार जब कोई पीड़ित पक्ष अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है, तो विरोधी पक्ष अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ(यों) की नियुक्ति का अपना अधिकार खो देगा। इसका निहितार्थ यह है कि न्यायालय अनुबंध की शर्तों से विचलित होने के लिए स्वतंत्र होगा। **ऐस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स* और ***भारत बैटरी मैन्युफैक्चरर* में स्पष्ट विरोधाभास को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ****उत्तर रेलवे प्रशासन* मामले में सुलझाया, जहाँ अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर बल देने का प्रयास किया गया था। धारा 11 की उपधारा (6) में उल्लिखित "आवश्यक उपाय करना" अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए और आगे यह निर्धारित करते हुए कि उक्त अभिव्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (8) की आवश्यकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। *****सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट* मामले में, 'निर्दिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति' की आवश्यकता वाले समझौते के विपरीत एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति को इस आधार पर वैध माना गया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही एक दशक से अधिक समय से समाप्त नहीं हुई थी जिससे प्रक्रिया का उपहास हो गया। इस न्यायालय ने इसमें सुझाव दिया है कि सरकार, वैधानिक प्राधिकरणों और सरकारी कंपनियों को सेवारत अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान वाले मध्यस्थता खंडों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त

करने पर विचार करना चाहिए और मध्यस्थता में व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए। [कंडिका 5, 6] [1150-ई-जी; 1151-ए-सी, जी; 1152-ए-बी]

*एस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (प्रा) लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2007) 5 एससीसी 304; **भारत संघ बनाम भारत बैटरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी (प्रा) लिमिटेड (2007) 7 एससीसी 684; ***उत्तर रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2008) 10 एससीसी 240; ****भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4 एससीसी 523; पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड (2006) 2 एससीसी 638- पर अवलम्बन किया गया।

3. अधिनियम की धारा 11(6) के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद मध्यस्थ नियुक्त करने के समझौते के तहत किसी पक्ष के अधिकारों को जब्त करने का सिद्धांत *****दीप ट्रेडिंग कंपनी में और भी अधिक औपचारिक रूप से अंतर्निहित हो गया, बेशक, धारा 11(8) के प्रावधानों के अधीन, जो प्रावधान ***उत्तर रेलवे प्रशासन में किसी भी स्थिति में अनिवार्य नहीं माना गया था, लेकिन अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के समय इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता को शामिल करता है। [कंडिका 7] [1152-डी-ई]

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2009) 8 एससीसी 520; *****दीप ट्रेडिंग कंपनी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य (2013) 4 एससीसी 35; दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड (2000) 8 एससीसी 151 - पर अवलम्बन किया गया।

4. वर्तमान मामले में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64(3)(क)(ii) और (iii) में समझौते के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों की कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी, सिवाय इसके कि वे रेलवे अधिकारी होने चाहिए। भले ही मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थ की किसी विशेष योग्यता(यों) का विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो, फिर भी इससे धारा 11(6) के तहत कार्य करने वाले न्यायालय की, किसी उपयुक्त मामले में, इससे अलग होने की शक्ति समाप्त नहीं होगी। बेशक, अनुबंध से उत्पन्न विवादों और मतभेदों के संबंध में निर्णय अभी तक पारित नहीं हुआ था। यद्यपि अपीलकर्ता-रेलवे ने अपनी दलीलों में यह तर्क देने का एक कमजोर प्रयास किया कि उक्त अनुबंध से उत्पन्न मध्यस्थता की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है, फिर भी इसके समर्थन में न्यायालय के समक्ष कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई। अनुबंध से उत्पन्न विवादों और मतभेदों को सुलझाने के

लिए मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई। ठेकेदार द्वारा दोनों अनुबंधों की कथित गलत समाप्ति के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए हुए लगभग दो दशक बीत चुके हैं। स्थिति चिंताजनक और कम से कम परेशान करने वाली है। अधिनियम के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग उसके तहत प्रदान किए गए उपाय को प्रभावी बनाने और उसमें परिकल्पित तंत्र को सुगम बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ अधिनियम के तहत कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निरर्थक हो गई है, मध्यस्थों की नियुक्ति की सहमत शर्तों से विचलित होने की न्यायालय की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की अवैधता या न्याय की विफलता भी नहीं कही जा सकती, जिससे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। [कंडिका 8) [11 एस 2-एफ-जी; 11 एस 3-ए-ई]

नजीर संदर्भ:

2007 (4)	एससीआर 777	कंडिका 5	पर अवलम्बित
2007 (8)	एससीआर 993	कंडिका 5	पर अवलम्बित
(2006) 2	एस. सी. सी. 638	कंडिका 5	पर अवलम्बित
2008 (12)	एससीआर 216	कंडिका 5	पर अवलम्बित
2009 (13)	एससीआर 510	कंडिका 5	पर अवलम्बित
2007 (8)	एससीआर 993	कंडिका 5	पर अवलम्बित
2009 (3)	एससीआर 470	कंडिका 6	पर अवलम्बित
2013 (2)	एससीआर 470	कंडिका 6	पर अवलम्बित
(2000) 8	एस. सी. सी. 151	कंडिका 6	पर अवलम्बित

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार : 2014 की दीवानी अपील सं. 6275

अनुरोध वाद संख्या 3/2012 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 27.06.2012 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए पी. एस. पटवालिया, ए.एस.जी., मधरिमा तातिया, श्रीकांत एन. तेरडाल

उत्तरदाताओं के लिए संगीता सिंह, जोगेंद्र सिंह, मेरुसागर सामंताराय।

न्यायालय का निर्णय रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था

1. इस अपील में चुनौती पटना उच्च न्यायालय के 27.06.2012 के आदेश को दी गई है, जिसके द्वारा सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को दो अनुबंधों संख्या सीएओ/सीओएन/722 दिनांक 01.11.1993 और सीएओ/सीओएन/738 दिनांक 28.04.1994 से उत्पन्न वर्तमान कार्यवाही के पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

2. उत्तरदाता-ठेकेदार को दिए गए दोनों अनुबंध 7.11.1994 को समाप्त कर दिए गए। यह सच है कि रेलवे के अनुबंध की सामान्य शर्तें, जिसमें एक मध्यस्थता खंड भी शामिल था, पक्षों पर लागू थीं। दोनों अनुबंधों की समाप्ति के बाद, उत्तरदाता-ठेकेदार ने समाप्ति को चुनौती देने वाली एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज कर दी गई, जिसे इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17189/1995 में चुनौती दी गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई, जिससे पक्षकारों को उचित कार्यवाही, अर्थात् दीवानी मुकदमे या मध्यस्थता के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, मतभेदों को सुलझाने का अवसर मिल गया।

3. यद्यपि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64(3)(क)(ii) और (iii) के अनुसार मध्यस्थों का एक पैनल वर्ष 1996 में ही नियुक्त किया गया था, फिर भी आज तक दोनों अनुबंधों से उत्पन्न विवादों के संबंध में निर्णय पारित नहीं किया गया है। अपीलकर्ता-रेलवे के अनुसार, अनुबंध संख्या सी.ए.ओ./सी.ओ.एन/722 दिनांक 01.11.1993 से उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। यदि अपीलकर्ता-रेलवे के उक्त कथन को स्वीकार भी कर लिया जाए, हालाँकि इसके समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, तो भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज तक निर्णय पारित नहीं किया गया है। बेशक, अनुबंध संख्या सी.ए.ओ./सी.ओ.एन/738 दिनांक 28.04.1994 के संबंध में मध्यस्थता अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि वर्ष 2002 में उत्तर पूर्व रेलवे, जिसने उत्तरदाता-ठेकेदार के साथ अनुबंध किया था, उत्तर पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे में विभाजित हो गया था। चूँकि उपरोक्त अनुबंध संख्या सी.ए.ओ./सी.ओ.एन/738 के संबंध में अधिकार क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे द्वारा प्रयोग किया जाना

था, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने उक्त अनुबंध के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के संबंध में सभी उत्तरदायित्वों से इनकार कर दिया है और साथ ही पूर्व मध्य रेलवे ने ठेकेदार द्वारा की गई मध्यस्थता की कई माँगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

जहां तक अनुबंध संख्या सी.ए.ओ./सी.ओ.एन/722 का संबंध है, स्वाभाविक रूप से, दोनों पक्षों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया में देरी के लिए एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की है और इस संबंध में आदान-प्रदान की गई भारी संख्या में पत्राचार और पैनल के सदस्यों की सेवा की अनिवार्यताओं (सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण आदि) के कारण मध्यस्थता पैनल के बार-बार बदलने से इस संबंध में किसी भी अनुबंधकारी पक्ष पर जिम्मेदारी तय करना असंभव हो गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हालांकि उक्त अनुबंध संख्या सी.ए.ओ./सी.ओ.एन/722 के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही वर्ष 1996 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन संघ द्वारा यह दावा किए जाने के बावजूद कि कार्यवाही पूरी हो चुकी है, पंचायत अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, हालांकि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इस संबंध में कोई निर्णायक सामग्री अभिलेख में नहीं लाई गई है; मध्यस्थों के पंचाट की तो बात ही छोड़ दें, हालांकि ऐसा पंचाट मध्यस्थता कार्यवाही के पूरा होने का स्वाभाविक परिणाम होता। इन तथ्यों की समग्रता में, उच्च न्यायालय ने अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64(3)(ए)(ii) और (iii) के ढांचे से परे जाकर एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त करना उचित समझा।

4. उक्त निर्णय की सत्यता का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक कानूनी चर्चा अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64(3)(क)(ii) और (iii) के प्रावधानों को उद्धृत करके शुरू की जा सकती है।

"64(3)(क)(ii) खंड 64(3)(क)(i) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन राजपत्रित रेलवे अधिकारियों का एक पैनल होगा, जो जेए ग्रेड से नीचे के नहीं होंगे, मध्यस्थ के रूप में। इस उद्देश्य के लिए, रेलवे, रेलवे के एक या एक से अधिक विभागों के राजपत्रित रेलवे अधिकारियों के 3 से अधिक नामों का एक पैनल ठेकेदार को भेजेगा, जिनसे महाप्रबंधक को ठेकेदार के नामिती के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल में से अधिकतम 2 नामों का सुझाव देने के लिए कहा जाएगा।

महाप्रबंधक उनमें से कम से कम एक को ठेकेदार के नामिती के रूप में नियुक्त करेगा और साथ ही, पैनल से या पैनल के बाहर से शेष मध्यस्थों की नियुक्ति भी करेगा, जिसमें नियुक्त मध्यस्थों में से 'अध्यक्षता करने वाले मध्यस्थ' का उचित संकेत दिया जाएगा। मध्यस्थों को नामित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उनमें से एक लेखा विभाग से हो। लेखा विभाग के चयन ग्रेड का अधिकारी, मध्यस्थों की नियुक्ति के उद्देश्य से, रेलवे के विभिन्न विभागों के एस.ए. ग्रेड के अधिकारियों के समकक्ष माना जाएगा।

64(3)(ए)(iii) - यदि ऊपर नियुक्त मध्यस्थों में से एक या अधिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से इनकार करते हैं, मध्यस्थ के रूप में अपने पद से हट जाते हैं, या अपना/अपने कार्यालय/कार्यालयों को खाली कर देते हैं या किसी भी कारण से मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यों को करने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या महाप्रबंधक की राय में बिना किसी देरी के कार्य करने में विफल रहते हैं, तो महाप्रबंधक उनके स्थान पर कार्य करने के लिए नए मध्यस्थ/मध्यस्थों को उसी तरह नियुक्त करेंगे जिस तरह से पहले मध्यस्थ/मध्यस्थों को नियुक्त किया गया था। ऐसा पुनर्गठित न्यायाधिकरण, अपने विवेक पर, उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ सकता है जिस पर इसे पिछले मध्यस्थ(यों) द्वारा छोड़ा गया था"।

अनुबंध की सामान्य शर्तों के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच समझौते के अनुसार मध्यस्थों के पैनल में राजपत्रित रेलवे अधिकारी होना आवश्यक है; मध्यस्थों के पैनल में किसी भी रिक्ति को उसी तरीके से भरा जाना चाहिए जिस तरीके से प्रारंभिक पैनल का गठन किया जाना अपेक्षित है।

5. यह "पारंपरिक धारणा" कि उच्च न्यायालय को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति करनी चाहिए, ऐस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' मामले में काफी कमजोर पड़ गई, जिसमें इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि यद्यपि पक्षों के बीच अनुबंध का पालन किया जाना चाहिए, परंतु असाधारण परिस्थितियों में उससे

विचलन स्वीकार्य होगा। इसके तुरंत बाद *भारत संघ बनाम भारत बैटरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी (प्रा.) लिमिटेड*² मामले में एक और महत्वपूर्ण निर्णय आया, जिसमें *पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड*³ मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद यह माना गया कि एक बार जब कोई पीड़ित पक्ष अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन दायर कर देता है, तो विरोधी पक्ष अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ(यों) की नियुक्ति का अपना अधिकार खो देगा। यह निहितार्थ कि न्यायालय अनुबंध की शर्तों से विचलित होने के लिए स्वतंत्र होगा, स्पष्ट है। *ऐस पाइपलाइन (उपरोक्त) और भारत बैटरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी (प्रा) लिमिटेड (उपरोक्त) में स्पष्ट द्वैधता को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर रेलवे प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड*⁴ में सुलझाया था, जहाँ धारा 11 की उप-धारा (6) में प्रकट "आवश्यक उपाय करने" की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए और यह निर्धारित करते हुए कि उक्त अभिव्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (8) की आवश्यकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए, धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर बल देने का प्रयास किया गया था। *इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड*⁵ में स्थिति को और स्पष्ट किया गया था। प्रतिवेदन की कंडिका 48, जिसमें अधिनियम की धारा 11 के दायरे का सारांश दिया गया था, को नीचे उप-कंडिका (vi) और (vii) को पुनः प्रस्तुत करके उद्धृत किया जा सकता है।

"(vi) मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी करने का प्रयास करेंगे।

(vii) यदि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हों, जो नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह उत्पन्न करती हों, या यदि अन्य परिस्थितियाँ निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके किसी स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को उचित

2. (2007) 7 एससीसी 684

3. (2006) 2 एससीसी 638

4. (2008) 10 एससीसीसीसी 240

5. (2009) 8 एससीसी 520

ठहराती हों, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर किसी अन्य को नियुक्त कर सकते हैं।"

6. उपरोक्त चर्चा *भारत संघ बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट*⁶ मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के संदर्भ के बिना पूरी नहीं होगी, जिसमें निर्दिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले समझौते के विपरीत एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति को इस आधार पर वैध माना गया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही एक दशक से अधिक समय से पूरी नहीं हुई थी, जिससे प्रक्रिया का मज़ाक उड़ाया गया। वास्तव में, सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (उपरोक्त) मामले में प्रतिवेदन की कंडिका 25 में इस न्यायालय ने सुझाव दिया था कि सरकार, वैधानिक प्राधिकरणों और सरकारी कंपनियों को सेवारत अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान वाले मध्यस्थता खंडों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार करना चाहिए और मध्यस्थता में व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए।

7. हाल का निर्णय *दीप ट्रेडिंग कंपनी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य*⁷ में प्रतिपादित विधिक स्थिति, *पुंज लायंड लिमिटेड* (उपरोक्त) में स्थापित सिद्धांत का अनुसरण करती है, जिसने आगे चलकर *दातार स्विचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड*⁸ में दो-न्यायाधीशीय पीठ के निर्णय का अनुसरण किया था। समझौते के अंतर्गत किसी पक्ष के अपने मध्यस्थ नियुक्त करने के अधिकार के परित्याग का सिद्धांत, एक बार अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ हो जाने पर, *दीप ट्रेडिंग कंपनी* (उपरोक्त) में और अधिक औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालाँकि, यह सिद्धांत धारा 11(8) के प्रावधानों के अधीन है, जिसे किसी भी स्थिति में *नॉर्दर्न रेलवे प्रशासन* (उपरोक्त) में अनिवार्य नहीं माना गया, बल्कि इसे केवल इस रूप में देखा गया कि धारा 11(6) के अंतर्गत अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग के समय उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

8. वर्तमान मामले में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 64(3)(a)(ii) और (iii) समझौते के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थों की कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि वे रेलवे अधिकारी होने चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, भले ही मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थ की किसी विशेष योग्यता(यों) का

6. (2009) 4 एससीसी 523

7. (2013) 4 एससीसी 35

8. (2000) 8 एससीसी 151

विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो, फिर भी यह धारा 11(6) के तहत कार्यरत न्यायालय की, किसी उपयुक्त मामले में, उससे अलग होने की शक्ति को कम नहीं करेगा। *सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट* (उपरोक्त) में एक दशक से अधिक समय तक मध्यस्थता कार्यवाही का लंबित रहना इस न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का उपहास माना गया था। वर्तमान मामले में, अनुबंध संख्या सी.ए.ओ./सी.ओ.एन/722 से उत्पन्न विवादों और मतभेदों के संबंध में निर्णय अभी पारित होना बाकी है। यद्यपि अपीलकर्ता-रेलवे ने अपनी दलीलों में यह तर्क देने का एक कमजोर प्रयास किया है कि उक्त अनुबंध से उत्पन्न मध्यस्थता की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है, फिर भी इसके समर्थन में न्यायालय के समक्ष कोई भी सामग्री नहीं रखी गई है। अनुबंध संख्या सी.ए.ओ./सी.ओ.एन/738 से उत्पन्न विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। ठेकेदार द्वारा दोनों अनुबंधों को कथित रूप से गलत तरीके से समाप्त करने के अपने दावे को उठाए हुए लगभग दो दशक बीत चुके हैं। स्थिति चिंताजनक है और कम से कम परेशान करने वाली है। अधिनियम के तहत न्यायालय की शक्ति का प्रयोग उसके तहत प्रदान किए गए उपाय को प्रभावी बनाने और उसमें परिकल्पित तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां अधिनियम के तहत प्रक्रिया और प्रक्रिया निरर्थक हो गई है, मध्यस्थों की नियुक्ति की सहमत शर्तों से हटने की न्यायालय की शक्ति को हमारे द्वारा देखे गए कई निर्णयों के आलोक में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई भी त्रुटि, यहाँ तक कि कोई अवैधता या न्याय की विफलता भी नहीं कही जा सकती, जिससे किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। इसलिए, हम अपीलकर्ता-रेलवे द्वारा दायर इस अपील को बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज करते हैं। हालाँकि, मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम अपीलकर्ता पर किसी भी तरह का खर्च डालना उचित नहीं समझते।

याचिका खारिज की जाती है।

देविका गुजराल

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।